भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *388
दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंचायत तथा खंड स्तर पर जन औषधि केंद्र

***388. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जन औषधि केंद्र खोले जाने के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं;
(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर भोपाल, मध्य प्रदेश में पंचायत एवं खंड स्तर पर जन औषधि केंद्र खोलने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केन्द्रों के संबंध में दिनांक 23.03.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 388 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संबंध में संदर्भित विवरण</u>

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् भारतीय औषध पीएसयू ब्यूरो (बीपीपीआई) द्वारा विनिर्मित आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसके पास डी.फार्मा / बी.फार्मा की योग्यता है अथवा कोई व्यक्ति / संगठन, जिसने संबंधित राज्य सरकार से औषधि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डी.फार्मा / बी.फार्मा की योग्यता वाले किसी व्यक्ति को नियोजित किया हुआ है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) खोलने के पात्र हैं। पीएमबीजेके खोलने हेतु आवेदन करने के लिए एक आवेदक को जो बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, वे निम्नानुसार हैं:

i. यथोचित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित न्यूनतम 120 वर्ग फुट का स्थान।

ii. राज्य फार्मेसी परिषद के साथ फार्मासिस्ट का पंजीकरण विवरण।

iii. दिव्यांग, एससी और एसटी उद्यमियों की श्रेणी के तहत आवेदकों के लिए वचनपत्र के साथ संबंधित अधिकारियों से प्रमाणपत्र / प्रमाण।

(ख), (ग) और (घ): देश के सभी जिलों में इस समय 7,520 से अधिक पीएमबीजेके कार्य कर रहे हैं। ब्लॉक और ग्राम पंचायत क्षेत्रों सहित देश में पीएमबीजेके का खोला जाना, व्यक्तिगत उद्यमी की ओर से आवेदन प्राप्त करने और फार्मासिस्ट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बीपीपीआई ब्लॉक और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पीएमबीजेके खोलने के संबंध में प्राप्त किए गए आवेदनों को वरियता प्रदान करता है और उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करता है।

*****